


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 3, 2013/ज्येष्ठ 13, 1935

No. 267]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 3, 2013/JYAISTHA 13, 1935

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2013

सा.का.नि. 351(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73) की धारा 31 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (नियुक्ति की प्रक्रिया और अध्यक्ष की अर्हताएं) नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (नियुक्ति की प्रक्रिया और अध्यक्ष की अर्हताएं) संशोधन नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (नियुक्ति की प्रक्रिया और अध्यक्ष की अर्हताएं) नियम, 2012 के नियम 5क में, मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-

“(ii) मूल संवर्ग या विभाग में, उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा के आधार पर वेतनमान 37,400-67,000 रुपए धन ग्रेड वेतन 10,000 रुपए के पद पर ; और”।

[फा. सं. 61-49/2003-ईई-10]

डॉ. अमरजीत सिंह, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, (साप्ताहिक), भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 24 से 30 जून, 2012 में सा.का.नि. 159, तारीख 29 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2013

G.S.R. 351 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 31 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Council for Teacher Education (Manner of Appointment and Qualifications of Chairperson) Rules, 2012, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Council for Teacher Education (Manner of Appointment and Qualifications of Chairperson) Amendment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Council for Teacher Education (Manner of Appointment and Qualifications of Chairperson) Rules, 2012, in rule 5, in clause (a), for item (ii), the following item shall be substituted, namely:—

“(ii) a post in the pay scale of Rs. 37,400-67,000 plus grade pay of Rs. 10,000 with five years regular service in the grade in the parent cadre or department; and”.

[F.No. 61-49/2003-EE-10]

Dr. AMARJIT SINGH, Addl. Secy.

Note : The Principal Rules were published *vide* G.S.R.159, dated 29th June, 2012 published in the Gazette of India (weekly), Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated June 24 to June 30, 2012.